

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज


नंबर या
अहकाम
की तारीख

14/11/19

~~नकुलाय उपर वास्ते शास्त्र इतिहास~~
~~पत्रावली डि।प्र. 29/11/19 मा पु.र.घ~~

10 ⁰³/₂₀₁₉ पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद सम्यक तामिल अप्रार्थी अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी का सही नाम सोहनसिंह पुत्र मूलसिंह है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से गलत नाम मोहनसिंह पुत्र मूलसिंह दर्ज कर दिया गया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र, बिजली का बिल, ग्राम पंचायत महावा का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, गैस कनेक्शन डायरी एवं राजस्व ग्राम महावा के भूमि खाता संख्या 61 सम्वत 2056-2059 की जमाबन्दी प्रति प्रस्तुत की हैं जिनमें प्रार्थी का नाम सोहनसिंह पुत्र मूलसिंह है, जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद होती हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मोहनसिंह पुत्र मूलसिंह अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी का सही नाम सोहनसिंह पुत्र मूलसिंह है की पुष्टि मतदाता पहचान पत्र, बिजली का बिल, ग्राम पंचायत महावा का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, गैस कनेक्शन डायरी एवं राजस्व ग्राम महावा की भूमि खाता संख्या 61 सम्वत 2056-2059 की जमाबन्दी की प्रति से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।


(ब्रिजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम महावा तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या जमाबन्दी सम्वत 2056-2059 के

खाता संख्या 61, 339, 409 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मोहनसिंह पुत्र मूलसिंह के स्थान पर सोहनसिंह पुत्र मूलसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सोनपटना जिला